प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

2Days Course on "Newly Enacted Major Criminal Acts"
(BNS, BNSS & BSA)
दिनांक 29-07-2025 से 30-07-2025
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **29**-07-2025 से **30**-07-2025 तक **Refresher** Course on "Newly Enacted Major Criminal Acts" (BNS, BNSS & BSA) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चअल क्लाश रूम में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल **15** प्रतिभागियों जिसमें **02** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, **03** पुलिस उप अधीक्षक एवं **04** पुलिस निरीक्षक ने व्यक्तिगत रूप से एवं **06** प्रतिभागियों जिसमें **01** पुलिस उप अधीक्षक एवं **05** पुलिस निरीक्षक ने ऑनलाईन भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन श्रीमती ममता सारस्वत, सहायक निदेशक (एसआईसी), आरपीए जयपुर द्वारा कोर्स का शुभारम्भ करवाया गया। कोर्स डायरेक्टर द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री रमेश चौधरी पीओ, आरपीए ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता - 2023, परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गई और निरस्त की गई धाराएँ, बी.एन.एस.एस. और सीआरपीसी धाराओ पर तुलनात्मक अध्ययन विस्तार से बताया। बी.एन.एस.एस की व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले धाराओ पर विशेष ध्यान देते हुए, सीआरपीसी के विगत प्रयोगों पर विचार करते हुए, जिसमें बी.एन.एस.एस. का प्रथम बार प्रयोग किया गया है, जो विगत में अस्तित्व में नहीं थे विषय पर व्याख्यान दिया गया। तृतीय सत्र में श्री सुनील वशिष्ठ, एडवोकेट जयपुर ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023, परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गई धाराएँ और निरस्त की गई धाराएँ तथा व्यवहार में प्रयोग की जा रही धाराएँ, वे धाराएँ जो बीएसए में पहली बार प्रयोग में ली गई है, पहले अस्तित्व में नहीं थे, के बारे में विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री नवीन कुमार तिवाडी, एडवोकेट जयपुर ने भारतीय न्याय सहिंता 2023, परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गई और निरस्त की गई धाराएँ, बीएनएस और आईपीसी धाराओ पर तुलनात्मक अध्ययन विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री नवीन कुमार तिवाडी, एडवोकेट जयपुर ने भारतीय न्याय सहिंता - 2023, व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बी.एन.एस. पर विशेष ध्यान देते हुए, आई.पी.सी. के विगत प्रयोगों पर विचार करते हुए, जिसमें बी.एन.एस. का प्रथम बार प्रयोग किया गया है, जो विगत में अस्तित्व में नहीं थे विषय पर व्याख्यान दिया गया। बी.एन.एस. के नये प्रावधान - धारा - 48, 69, 95, 103(2), 111, 112, 113,152, 226, 304 पर विस्तार से बताया । तृतीय सत्र में श्री शिवकुमार सहायक उप निरीक्षक एससीआरबी, जयपुर द्वारा ई-साक्ष्य एप्लीकेशन के बारे में बताया गया एवं ई-साक्ष्य एप्लीकेशन के माध्यम से ऑडियो विडियो रिकॅार्डिग से संबंधित प्रकिया को प्रक्टिकल (Hands on) प्रशिक्षण के द्वारा समझाया गया।

कोर्स के समापन में श्रीमती ममता सारस्वत, सहायक निदेशक (एसआईसी), आरपीए जयपुर द्वारा कोर्स प्रतिभागियों से कोर्स से सम्बन्धित नवीनतम धाराओ पर चर्चा की। कोर्स डायरेक्टर प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया गया, मूल्याकंन परीक्षा ली गई। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र डिजीटल रूप में दिये गये। समापन सत्र के अन्त में कोर्स डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

कोर्स निदेशक